प्रत्यय अमृत, भा.प्र.से.
मुख्य सचिव
PRATYAYA AMRIT, I.A.S.
Chief Secretary

बिहार सरकार

बिहार सरकार
मुख्य सचिवालय, पटना - 800 015
Government of Bihar
Main Secretariat, Patna-800 015
Tel.: 0612-2215804, 2217085
E-mail:cs-bihar@nic.in

पत्रांक– 3 / एम0–117 / 2011सा0प्र0 21001 /

सेवा में

सभी अपर मुख्य सचिव / प्रधान सचिव / सचिव
सभी विभागाध्यक्ष
पुलिस महानिदेशक
सभी प्रमण्डलीय आयुक्त
सभी जिला पदाधिकारी

पटना–15, दिनांक– 18.11.2026

विषयः– विभिन्न लोक कार्यक्रमों / राजकीय समारोहों का शुभारंभ / शिलान्यास / उद्घाटन कार्यक्रमों में स्थानीय सांसद / विधान मंडल के सदस्य / अन्य जन प्रतिनिधियों को अनिवार्य रूप से आमंत्रित किये जाने के संबंध में।

महाशय,

आप अवगत हैं कि जन प्रतिनिधि होने के फलस्वरूप संसद एवं राज्य विधान मंडल के सदस्यों का लोकतांत्रिक व्यवस्था में महत्त्वपूर्ण स्थान है। पूर्व में मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग द्वारा यह निदेश परिचारित है कि "कोई भी प्रशासनिक अधिकारी विकास योजनाओं का उद्घाटन नहीं करेंगे एवं किसी शिलापट्ट पर नाम अंकित नहीं करेंगे, यदि आवश्यकता हुई तो उस क्षेत्र के मंत्री या सांसद या क्षेत्रीय विधायक या क्षेत्रीय पार्षद शिलापट्ट रखेंगे या उद्घाटन करेंगे।" इस संबंध में मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग के पत्रांक–1762 दिनांक–26.12.2013 द्वारा उपरोक्त निर्णय का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करने हेतु निदेशित किया गया है (छायाप्रति संलग्न)।

इसी प्रकार सामान्य प्रशासन विभाग के पत्रांक–9423 दिनांक–25.08.2021 द्वारा राज्य में आयोजित राजकीय समारोह / माननीय मुख्यमंत्री या अन्य महानुभावों के द्वारा किये जाने वाले शिलान्यास तथा उद्घाटन आदि के समारोह में स्थानीय सांसद एवं विधान मंडल के सदस्यों को भी निश्चित रूप से आमंत्रित किया जाना है तथा उनके लिए सम्मानजनक स्थान आरक्षित किये जाने हेतु निदेशित किया गया है।

परन्तु कतिपय मामलों में यह देखा जा रहा है कि राजकीय समारोहों का शिलान्यास एवं उद्घाटन सांसद, विधान मंडल के माननीय सदस्यों एवं अन्य जन प्रतिनिधियों की उपस्थिति में स्थानीय पदाधिकारियों द्वारा किया जाता है, जिसके कारण आम जनों का जन प्रतिनिधियों के प्रति विश्वास की भावना में कमी होती है, जो यह नयाचार के स्थापित सिद्धांत के भावों को प्रदर्शित नहीं करता है।

अनेक मामलों में जिले के वरीय पदाधिकारी भिन्न–भिन्न स्थानीय संस्थाओं/बोर्ड/ट्रस्ट/समितियों के पदेन अध्यक्ष/सचिव/पदधारक होते है, जिसके शुभारंभ अथवा उद्घाटन/शिलान्यास कार्यक्रम/समारोहों में पदाधिकारियों द्वारा सक्रिय रूप से भाग लिये जाने की आवश्यकता होती है। प्रायः महत्वपूर्ण योजनाओं/कार्यक्रमों का उद्घाटन/शिलान्यास माननीय मुख्यमंत्री, बिहार द्वारा किये जाते हैं, तथापि वैसे अन्य कार्यक्रमों/समारोहों में भी यथासाध्य स्थानीय सांसद/विधायक/जन प्रतिनिधियों को अनिवार्य रूप से आमंत्रित किया जाना अपेक्षित है।

अतएव वर्णित स्थिति में पुनः निदेश दिया जाता है कि विभिन्न लोक कार्यक्रमों/राजकीय समारोहों का शुभारंभ/शिलान्यास/उद्घाटन कार्यक्रमों में स्थानीय सांसद/विधान मंडल के सदस्य/अन्य जन प्रतिनिधियों को अनिवार्य रूप से आमंत्रित किया जाय एवं उक्त कार्यक्रमों में नयाचार के प्रावधानों एवं सिद्धांतों का शत–प्रतिशत अनुसरण किया जाय। उक्त निदेश से अपने अधीनस्थ कार्यालयों के पदाधिकारियों/कर्मियों को अवगत कराते हुए इसका दृढ़ता से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

विश्वासभाजन

18.11.2026

(प्रत्यय अमृत)